समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्याः–1955/71–2–17–4/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2017

विषयः–नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/385, दिनांक 07.06.2017 एवं पत्र सं0–एम0ई0–3/2017/386, दिनांक 07.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–769/71–2–2017–4/2017, दिनांक 10.03.2017, शासनादेश संख्या–905/71–2–2017–4/2017, दिनांक 27.03.2017, शासनादेश संख्या–1023/71–2–2017–4/2017, दिनांक 31.03.2017, शासनादेश संख्या–1685/71–2–2017–4/2017, दिनांक 20.05.2017, शासनादेश संख्या–1709/71–2–2017–4/2017, दिनांक 23.05.2017, शासनादेश संख्या–1819/71–2–2017–4/2017, दिनांक 26.05.2017 एवं शासनादेश संख्या–1820/71–2–2017–4/2017, दिनांक 27.05.2017 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– सिविल अपील संख्या–8268/2017, डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 को पारित निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत है :–

JDME/AD3/BDS
08/06/17

"21. In view of the above discussion, we set aside the judgment and order of the High Court and all consequential action taken by the State of U.P. and/or any other authority pursuant to that order. It is clarified that those who were counseled and granted admission prior to the impugned judgement of the High Court shall be permitted to continue in their respective courses. The time for filling up the vacant seats, if any, in AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions in the State of U.P. is extended up to 12th June, 2017 in the peculiar facts and circumstances of the case. We further permit the AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions in the State of fill up the seats in the post graduate courses in the AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions up to 12.6.2017.

All the civil appeals as well as the interlocutory application(s) relating to the State of Uttar Pradesh in Writ Petition (C) No. 76 of 2015 are disposed of in the aforesaid terms.

Pending applications(s), if any, also stand(s) disposed of."

4— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2017 तथा उक्त के कम में निर्गत आदेशों/कार्यवाही को Set aside कर दिया गया है। अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या—1824/71—2—17—62/2017, दिनांक 30.05.2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

5— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 07.06.2017 के अनुपालन में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अवशेष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों के सापेक्ष आन स्पाट काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही माप अप राउण्ड के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के लेक्चर हॉल में निम्नानुसार कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क0	विवरण	काउंसिलिंग की तिथि
1	राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अवशेष रिक्त सीटों की काउंसिलिंग	09.06.2017
2	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अवशेष रिक्त सीटों की काउंसिलिंग	10.06.2017

6— राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानो/चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा ए0एम0यू0/बी0एच0यू0 के मेडिकल कालेजों की अवशेष रिक्त सीटों पर आन—स्पाट काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर दिनांक 28.03.2017 से 03 अप्रैल, 2017 तक एवं दिनांक 29 एवं 30 मई 2017 तक पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

7— उपर्युक्तानुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों की नवीन मेरिट सूची किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 08.06.2017 को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

8— उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09, 10 जून, 2016 को प्रस्तावित उपरोक्त माप—अप राउण्ड की काउंसिलिंग के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तर—2 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा—निर्देश/निर्णय भी

सम्बन्धित अभ्यर्थियों/संस्थाओ की सुविधा/संज्ञान हेतु पुनः संसूचित किए जा रहे हैः–

i. ए0एम0यू0/बी0एच0यू0 से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों में माप–अप राउण्ड के माध्यम से दिनांक 10.06.2017 को प्रस्तावित काउंसिलिंग में सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को काउंसिलिंग बोर्ड में सम्मिलित किया जाता है।

II. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की काउंसिलिंग विश्वविद्यालय के बायलॉज/रूल्स/रेगुलेशन के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

III. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की काउंसिलिंग उनके द्वारा किए गये अनुरोध के कम में आल इण्डिया नीट पी0जी0, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर की जायेगी।

IV. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु माप–अप राउण्ड की प्रस्तावित कांउसिलिंग दिनांक 09.06.2017 में ऐसे अभ्यर्थी ही अर्ह होगें जिनके द्वारा कहीं प्रवेश नहीं लिया गया है।

V. माप–अप राउण्ड की प्रस्तावित काउंसिलिंग दिनांक 09.06.2017 एवं 10.06.2017 को सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक समस्त शैक्षणिक अभिलेखों, मूल निवास सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र आदि काउंसिलिंग बोर्ड को प्रस्तुत (ए0एम0यू0 में प्रवेशित छात्रों को छोड़ते हुए) किया जाना अनिवार्य होगा।

VI. माप–अप राउण्ड की प्रस्तावित काउंसिलिंग दिनांक 09.06.2017 एवं 10.06.2017 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियो को काउंसिलिंग शुल्क रू0 1000/– काउंसिलिंग स्थल पर आन–स्पाट नगद/महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 के नामदेय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।

VII. माप–अप राउण्ड की प्रस्तावित काउंसिलिंग दिनांक 09.06.2017 एवं 10.06.2017 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से सिक्योरिटी मनी के रूप में रू 5000/– की धनराशि काउंसिलिंग स्थल पर आन–स्पाट नगद/महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 के नामदेय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।

VIII. जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा उनके द्वारा सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा धनराशि फीस में समायोजित कर ली जायेगी और जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कर सीट से त्याग पत्र दे दिया जायेगा या छोड़ दी जायेगी उसके द्वारा जमा सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।

9— नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे, शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

10— नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग से सम्बन्धित अन्य विस्तृत विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1955(1)/71—2—2017—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति/कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/ कुलपति, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 10.06.2017 को प्रस्तावित माप—अप राउण्ड की काउंसिलिंग में अपने विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को काउंसिलिंग बोर्ड में नामित करते हुए प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।